

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-२ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित ।)

बुधवार, तिथि १६ मार्च, १९७५

विषय-सूची

	पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा ।	१
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :	
बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) अध्यादेश, १९७५ (अस्वीकृत) ।	२-३२
बिहार विधान-परिषद् द्वारा यथापारित बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) विधेयक, १९७५ के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा ।	३२-३७
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
(क) राज्य में बढ़ती हुई चोरी, डकैती एवं राहजनी से उत्पन्न स्थिति ।	३७-३९

३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ८३,१०० (तिरासी हजार, एक सौ) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(१५) श्रम और रोजगार

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ७८ से ७९ एवं १५३ से १५७ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “श्रम और रोजगार” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ११,७७,४१५ (ग्यारह लाख, सतहत्तर हजार, चार सौ पन्द्रह) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(१६) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ८० से ८४ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “सामाजिक सुरक्षा और कल्याण” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो

व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त १,०२,८६,००५ (एक करोड़, दो लाख, छियासी हजार पाँच) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(१७) सहकारिता

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ८७ से ८९, १५८ एवं २०८ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “सहकारिता” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ७५,८७,०१५ (पचहत्तर लाख, सतासी हजार, पन्द्रह) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(१८) कृषि एवं पशुपालन

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ९४ से १०१ एवं २०९ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “कृषि एवं पशुपालन” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम,